न्यायालय अवर न्यायाधीश प्रथम बगहा
व्यवहार न्यायालय बगहा
स्वत्व वाद सं0 234/2021 C I S No.- 154/2021
मु0 रीता देवी बनाम आलोक जयसवाल वगैरह

Date of order	Order with initils of P. O	Remarks
01.06.2026	उभयपक्ष अनुपस्थित है। वाद पुकारा गया। पुकार पर उभयपक्षों की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। वाद बार–बार पुकारा गया, उसके बाद भी वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वाद वादी के उचित पैरवी करने हेतु लम्बित है, परन्तु वादी अपना पक्ष नहीं रख रहे है। इस वाद में वादी दिनांक 25.04.2025 से लगातार आज तक अनुपस्थित हैं। वादी को उचित पैरवी करने हेतु दिनांक 04.09.2025 को अवसर दिया गया था, अन्यथा उचित आदेश पारित कर दिया जायेगा। उसके बावजूद वादी वाद में उचित पैरवी नही कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को अपने इस वाद में अब कोई रूची नहीं रह गई हैं। अतः इस वाद को वादी के लगातार अनुपस्थित रहने के कारण अदम पैरवी में **खारिज** किया जाता हैं। कार्यालय वादी को नोटिस निर्गत करे कि वे एक माह के अन्दर अपना दाखिल कागजात वापस ले जाये। कार्यालय नियमानुसार अभिलेख अभिलेखागार में जमा करे । **लेखापित** **अवर न्यायाधीश प्रथम**	